

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं
सम्बद्ध कौंसिले
5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ
(उ०प्र० सरकार द्वारा स्थापित)

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री (2 वर्षीय)
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के मानक

प्रास्पेक्टस



स्थापित - 1926

फोन : 0522-2238846, 3302100, फैक्स : 0522-2236600
ई-मेल : inspection@upsmfac.org
वेबसाइट : www.upsmfac.org

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री :

इस हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री का वर्तमान प्रशिक्षण पिछले 50 वर्षों से फैकल्टी द्वारा चलाया जा रहा है। मानक के अनुसार 10,000 आबादी के विरुद्ध एक आप्टोमेट्रिस्ट होना आवश्यक है लेकिन इस मानक से उपलब्धता काफी कम है। यह देखते हुए कि, इस विषय से संबंधी चश्में आदि की दुकानों में कार्य करने हेतु व नेत्र रोग विशेषज्ञ की सहायता हेतु इनकी मँग काफी है। इसके साथ ही साथ नेत्र रोगों के निदान व इलाज में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। नये—नये औजार व मशीनें उपलब्ध हैं।

नेत्र शल्य चिकित्सा में भी आशातीत उन्नति हुई है। एक ही दिन मे नेत्र रोग का मरीज शल्य चिकित्सा करवाकर घर वापस लौट सकता है, इस तरह की स्थिति में आप्टोमेट्रिस्ट का कार्य कई गुना बढ़ जाता है। उसके साथ ही, बढ़ता है प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्य। पुराने कोर्स को नया कलेवर प्रदान किया जा रहा है, नये समीचीन विषय जोड़े जा रहे हैं। नये आजारों मशीनों की जानकारी संबंधी विषय जोड़े जा रहे हैं।

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री का कोर्स 2 वर्ष का है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इस विषय से संबंधित विशेष व मानव शरीर से संबंधित सभी विषयों में सामान्य सैद्धान्तिक व प्रायोगिक (Theoretical & Practical) ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा। इन छात्रों से अपेक्षित होगा कि वे 2 वर्ष के अन्त तक इतना ज्ञानार्जन कर लें कि नेत्र रोगों के निदान, दृष्टि व आपरेशन आदि में अपना सक्रिय योगदान कर सकें। इन्हें आधुनिकतम उपलब्ध मशीनों की भी जानकारी प्रदान कराई जायेगी। जिसमे कि वे अपने ज्ञान अनुभव व मशीनों के सहयोग से मरीजों को लाभ पहुँचायेंगे।

अर्ह आवेदक :-

संस्था/सोसाइटी/एन.जी.ओ./ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। समस्त परिसम्पत्तियाँ सम्बन्धित संस्था/एन.जी.ओ./सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम होनी चाहिये।

स्कूल का स्टेटस –

शासकीय/निजी/शासकीय सहायता प्राप्त।

आवेदन शुल्क – (वापस नहीं होगा/अहस्तांतरणीय/एक बार ही जमा होगा)

- ₹ 2,50,000+(18% GST) आवेदन–पत्र/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क आन–लाईन www.upsmfac.org पर आन–लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

मानक —

भूमि :

प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि एवं चिकित्सालय की भूमि आवेदित संस्था सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम होनी चाहिये।

| प्रशिक्षण केन्द्र | प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी |
|--|--|
| भवन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 6000 वर्गफुट एक विषय हेतु। एक से अधिक विषय हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 2000 वर्गफुट भवन अतिरिक्त। | प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी 5 किमी. से अधिक न हो। दोनों एक ही आवेदक संस्था के नाम हों। |

भवन प्रशिक्षण केन्द्र :

| प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र | 6000 वर्ग फुट |
|--|---|
| प्राचार्य कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| केन्द्र कार्यालय | 200 वर्ग फुट |
| रिसाप्शन कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| कक्षा (2 कक्ष) | 500 वर्ग फुट प्रति कक्ष (कुल 1000 वर्गफुट) |
| प्रयोगशाला — 1 (एनॉट्मी एवं फिजियॉलाजी) | 200 वर्ग फुट |
| प्रयोगशाला—2 (डैमो ओटी०) | 300 वर्ग फुट |
| लाइब्रेरी | 400 वर्ग फुट |
| कामन रूम (महिला) | 150 वर्ग फुट |
| कामन रूम (पुरुष) | 150 वर्ग फुट |
| जनसुविधायें (महिला / पुरुष) | 100 वर्ग फुट |
| भंडार कक्ष / गोपनीय कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| अडिटोरियम / कामन हाल | 2000 वर्ग फुट |
| कम्प्यूटर कम अडियो, इन्टरनेट के साथ | 300 वर्ग फुट |
| टायलेट एवं सर्कुलेशन एसिया | 600 वर्ग फुट |

आप्टोमेट्री से सम्बन्धित सुविधायें (प्रशिक्षण केन्द्र में) (शेष अस्पताल में अलग होगी) :-

| सुविधा | क्षेत्रफल |
|------------------------------|---------------|
| कुल क्षेत्रफल | 1000 वर्ग फुट |
| – रोगियों के बैठने की सुविधा | |
| – शौचालय | |
| – पानी की व्यवस्था | |
| – पंखे / कूलर की व्यवस्था | |
| – रिफ्रैशन कक्ष | |
| – नेत्र की एक्सरसाइज कक्ष | |
| – फ्रेम, चश्में की सुविधा | |
| – प्रायागिक शिक्षण कक्ष | |
| अन्य | 300 वर्ग फुट |

कैम्पस –

अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र एक ही कैम्पस में हो तो बेहतर है। यदि अलग—अलग हो तो एक ही मालियत में हो और उनके बीच की दूरी 5 कि.मी. से अधिक न हो।

आस—पास का विकास –

सेन्टर के आस—पास का वातावरण ग्रहणीय हो, बहुत शोर—गुल न हो। वातावरण / पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

खेल मैदान / जिम्नेजियम – अनिवार्य नहीं है, हो तो उचित होगा।

विद्युत व्यवस्था –

नियमित पर्याप्त विद्युत कनेक्शन के अलावा समुचित शक्ति का जनरेटर उपलब्ध होना चाहिये।

कैन्टीन / कैफेटेरिया –

स्वयं का हो या Sublet किया गया हो।

जल –

पीने के पेय जल व जन सुविधाओं के लिये समुचित सुविधायें हों।

आवागमन—

आवागमन के समुचित साधन हो।

हास्टल –

पैरामेडिकल प्रशिक्षण में हास्टल अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध कराया जाता है तो छात्र हित में होगा।

अस्पताल के भवन से संबंधित विवरण :—

प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी – 5 कि.मी. के अन्दर हो। भवन के अन्दर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों।

| क्षेत्र | क्षेत्रफल |
|--------------------------|---|
| अस्पताल भवन | 50 विस्तरों का अस्पताल जिसमें नेत्र विभाग संचालित हो। |
| रिसेष्यन | |
| ओ०पी०डी० | 80 मरीज प्रतिदिन / एकल में 30 मरीज प्रतिदिन |
| अंतः रोगी कक्ष | 50 विस्तरों का |
| आपरेशन थियेटर | |
| मेजर | 1 |
| माइनर | 2 |
| स्टरलाइजेशन कक्ष | 1 |
| आकस्मिक चिकित्सा कक्ष – | |
| इमरजेन्सी कक्ष | सुसज्जित हो |
| इमरजेन्सी सुविधाएं | सुलभ हो |
| एक्स-रे सुविधा | उपलब्ध हो (अनिवार्य नहीं) |
| क्लीनिकल लेबोरेटरी | उपलब्ध हो |
| जनसुविधाएं (शौचालय) | उपलब्ध हो |
| विस्तर | उपलब्ध हो |
| फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट | उपलब्ध हो |
| पेयजल | उपलब्ध हो |

आप्टोमेट्री (आप्थल्मोलोजी विभाग (नेत्र रोग विभाग) लगभग 1500 वर्गफुट में हो):—

| क्रम सं. | सुविधाएं | |
|----------|--|---|
| 1. | ओ.पी.डी. मरीजों के बैठने की सुविधाएं, समुचित हवा पानी का प्रबन्धन हो | |
| 2. | नेत्र रोगियों को आपरेशन के उपरान्त भर्ती करने की व्यवस्था हो | |
| 3. | आपरेशन थियेटर मेजर (फर्निशड) | 1 |
| 4. | आपरेशन थियेटर माइनर (फर्निशड) | 1 |
| 5. | रिफ्रैक्शन कक्ष | 1 |
| 6. | ऑँख का जांच कक्ष | 1 |

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 7. | लेजर / फेको आदि की व्यवस्था | |
| 8. | चश्मा वितरण / दवा वितरण कक्ष | 1 |
| 9. | शिक्षण कक्ष | 1 |
| 10. | इमरजेन्सी चिकित्सा कक्ष | 1 |

अस्पताल – विशेषज्ञता के अनुरूप स्थायी अथवा विजिटिंग चिकित्सक, इनका उपयोग पठन–पाठन में किया जा सकता है।

वाहन – यदि स्कूल व ट्रेनिंग सेन्टर अलग–अलग हैं तो छात्रों के आवागमन हेतु वाहन आवश्यक है।

वित्तीय संसाधन :

- आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति का आंकलन निरीक्षक करेंगे।
- भूमि–भवन के अलावा आवेदक के नाम फिक्सड डिपाजिट हो।
- तीन वर्ष की बैलेन्स शीट अथवा बैंक एकाउन्ट भी प्रस्तुत करें।
- भूमि, भवन आदि एसेट्स भी हों।
-

फैकल्टी

टीचिंग फैकल्टी – 40 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

| क्र. सं. | फैकल्टी | योग्यता | संख्या |
|----------|---------------|---|----------|
| 1. | प्राचार्य | एम.बी.बी.एस. चिकित्सक या आपथेल्मोलाजिस्ट / पैरामेडिकल विषय विशेष में पोस्ट ग्रेजुएट | 1 |
| 2. | वरिष्ठ शिक्षक | उपरोक्तानुसार + 5 वर्ष अनुभव | 1 |
| 3. | शिक्षक | डिप्लोमा या डिग्रीधारक | 2 |
| | | कुल | 4 |

फैकल्टी – प्रशासनिक

| क्र.सं. | फैकल्टी | संख्या |
|---------|-----------------------------|----------|
| 1. | कलर्क कम अकाउंटेन्ट | 1 |
| 2. | कम्प्यूटर आपरेटर | 1 |
| 3. | लाइब्रेरियन / स्टोर इंचार्ज | 1 |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी | 2 |
| 5. | सफाई कर्मचारी | 2 |
| | कुल | 7 |

फलो चार्ट :- कब, क्या, कैसे ?

(कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली-भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं)

आवेदन करने के पूर्व आन-लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।

आवेदन पत्र आन लाईन www.upsmfac.org पर उपलब्ध है।
पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ 2,50,000+(18% GST) आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

आन-लाईन आवेदन फार्म को पूर्ण रूप से भरकर समस्त सम्बन्धित दस्तावेज लगाकर फैकल्टी कार्यालय में जमा करें।

आवेदन पत्र की जांच फैकल्टी स्तर पर की जायेगी।

जाँच में उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्तावित केन्द्र का निरीक्षण नियुक्त निरीक्षकों से कराया जायेगा।

निरीक्षण आख्या एकजीक्यूटिव / शासी समिति से अनुमोदित करायी जायेगी।

निरीक्षण आख्या चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनुमति हेतु भेजी जायेगी।

उ0प्र0 शासन की अनुमति के उपरान्त द्वितीय निरीक्षण के पश्चात ही केन्द्रों को छात्र भर्ती करने की अनुमति होगी।

शासी समिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कार्यालय में जमा किया जायेगा।

इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट एवं इंडियन नर्सिंग कॉसिल एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी परीक्षक एवं पंजीकरण संस्था है।

छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया :-

प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ही की जानी है। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मात्र प्रतिनिधित्व रहेगा जिसमें कि प्रवेश प्रक्रिया में फैकल्टी के नियमों का पालन हो सके। उचित होगा कि 100 आवेदकों के होने पर लिखित व मौखिक प्रवेश परीक्षा ले ली जाये। कम आवेदनों की दशा में केवल मौखिक प्रवेश परीक्षा से कार्य चलाया जा सकता है।

यदि प्रशिक्षण केन्द्र में अनेकों प्रशिक्षण हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाये व मौखिक परीक्षा के समय छात्र प्रायोरिटी पूछ ली जाये व मेरिट के अनुसार प्रदान की जायेगी।

अर्हता :-

इन्टर विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान व गणित) के उत्तीर्ण छात्र अर्ह हैं।

फैकल्टी के अलावा अन्य गैर मान्यता प्रशिक्षण नहीं :-

प्रशिक्षण केन्द्रों पर उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ही प्रशिक्षण चलाये जाने की अनुमति होगी। उ0प्र0 शासन की अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षणों को किसी भी दशा में अनुमति प्रदान करना संभव नहीं है। यदि संस्थायें फैकल्टी अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षण चलाती हैं तो उन केन्द्रों से फैकल्टी अपने प्रशिक्षणों की मान्यता समाप्त कर देगी।

भर्ती क्षमता :-

प्रत्येक केन्द्र को सामान्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अधिकतम 40 छात्र प्रति वर्ष प्रशिक्षण क्षमता हेतु मान्यता प्रदान की जा सकती है। इससे अधिक भर्ती क्षमता का निर्धारण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं व क्षमता को देखते हुए किया जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधायें सुलभ हों।

प्रशिक्षण अवधि :-

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री प्रशिक्षण की कुल अवधि 2 वर्ष की होगी पूर्ण प्रशिक्षण को निम्नलिखित प्रकार से बाँटा गया है :

विन्दु-1 प्रतिदिन 6 घंटे की कक्षायें एवं प्रेक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
(प्रति सप्ताह 36 घंटे)

विन्दु-2

- | | | |
|----|------------------|---------|
| 1. | रविवार | 52 दिन |
| 2. | वार्षिक अवकाश | 20 दिन |
| 3. | राजपत्रित अवकाश, | 20 दिन |
| 4. | अन्य अवकाश | 13 दिन |
| 5. | प्रिपरेशन लीव | 10 दिन, |

एक वर्ष में

115 दिन अवकाश

कक्षा एवं प्रायोगिक कार्य के विषय :

प्रथम वर्ष

| | सैद्धान्तिक (थोरी) घंटे (750) | प्रायोगिक (प्रैक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन) घंटे (750) | |
|--|----------------------------------|---|--|
| 1. Human Anatomy & Physiology with special attention to be given to eye. | 400 | 350 | |
| 2. Physical & Physiological Optics. | 350 | 400 | |

द्वितीय वर्ष

| | सैद्धान्तिक (थोरी) घंटे (650) | प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) घंटे (850) | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Diseases of the eye | 250 | 300 | |
| 2. Drugs & Diagnostic Instruments. | 100 | 200 | |
| 3. Mechanical Optics & Ophthalmic Lences. | 300 | 350 | |

मूल्यांकन :-

इन्टरनल असेसमेन्ट

प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रत्येक छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाय व अंक प्रदान किये जाये। मुख्य परीक्षा के समय छात्र का नाम फैकल्टी को तभी प्रेषित किया जाय, जब उसकी आंतरिक मूल्यांकन व उपस्थिति संतोषप्रद हो। ये अंक अन्तिम परीक्षा में नहीं जोड़े जायेंगे।

परीक्षा की योजना

परीक्षा

प्रथमवर्ष

| प्रश्नपत्र | विषय | कुल अंक | उत्तीर्णांक | परीक्षा अवधि |
|------------|---|------------|-------------|--------------------|
| प्रथम | Human Anatomy & Physiology (General/Ocular) प्रायोगिक | 100 100 | 50 50 | 3 Hours 3 Hours |
| द्वितीय | Physical & Physiological Optics. प्रायोगिक | 100 100 | 50 50 | 3 Hours 3 Hours |
| | | | | |

द्वितीय वर्ष

| प्रश्नपत्र | विषय | कुल अंक | उत्तीर्णांक | परीक्षा अवधि |
|------------|---|------------|-------------|--------------------|
| प्रथम | Diseases of the eye Drugs & Diagnostic Instruments. प्रायोगिक | 100 100 | 50 50 | 3 Hours 3 Hours |
| द्वितीय | Mechanical Optics & Ophthalmic Lences. प्रायोगिक | 100 100 | 50 50 | 3 Hours 3 Hours |
| | | | | |

परीक्षा में बैठने की अनुमति –

मुख्य परीक्षा

स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा केवल उन्हीं छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठाया जायेगा जो प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी/प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित प्रमाणित किया जायेगा।

1. छात्र ने वर्ष में कम से कम 11 माह का लिखित व प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
2. आंतरिक मूल्यांकन व उपस्थिति (75%) संतोषप्रद हो।
3. केन्द्र प्रभारी द्वारा छात्र के अच्छे कार्य एवं व्यवहार को पमाणित किया गया हो।
4. थ्योरी व प्रैक्टिकल में अलग-अलग पास होना अनिवार्य होगा।

पूरक परीक्षा

यदि प्रशिक्षणार्थी थ्योरी अथवा प्रैक्टिकल में फेल होगा तो उसे प्रशिक्षण में अगले वर्ष की पढ़ाई करने दी जायेगी किन्तु अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के पूर्व उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा फैकल्टी द्वारा पूरक परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा।

प्रैक्टिकल : प्रशिक्षण केन्द्र की प्रयोगशालाओं से ही प्रैक्टिकल सम्पन्न कराये जायेंगे।

परीक्षक : यथासम्भव आवश्यकतानुसार आंतरिक के अलावा बाह्य परीक्षक भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

पेपर सेटिंग : फैकल्टी द्वारा चलाये जा रहे संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत टीचिंग फैकल्टी से ही पेपर सेटिंग करायी जायेगी। पेपर, पाठ्यक्रम में से ही बनाये जायेंगे। इस कार्य हेतु अनुभवी शिक्षकों को वरीयता दी जायेगी।

परीक्षक :

टीचिंग फैकल्टी के शिक्षकों में से होंग।

प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective Type) लघुउत्तरीय व विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक विषय व उपविषय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक —

फोटोग्राफ :

1. टीचिंग ब्लाक के पूरे भवन के सामने का, पूरे भवन के पोछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष की, लाइब्रेरी, रिशेष्कान, की फोटोग्राफ।
2. अस्पताल के सामने का, पीछे का व आन्तरिक साज—सज्जा एवं उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये स्पष्ट फोटोग्राफ।
3. सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये स्पष्ट आन्तरिक फोटोग्राफ।

दस्तावेज :

4. संस्था (सोसा०/ट्रस्ट/कम्पनी) का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र।
5. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
6. प्रश्नगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा०/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव को प्रति।
7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षों की)
8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण—पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अन्तर्गत भू—उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें एवं प्रशिक्षण केन्द्र (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
9. अस्पताल के मालिकाना हक का प्रमाण—पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी का पंजीयन प्रमाण—पत्र जिसमें वैधता तिथि अंकित हो तथा ऑनलाईन पद्धति का (संस्था का ही हो)।
10. स्वयं के अस्पताल का उ०प्र० प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी) द्वारा जारी वर्तमान पंजीयन प्रमाण—पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि (जारी होने की तिथि एवं समाप्त होने की तिथि) अंकित हो तथा ऑनलाईन पद्धति का।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान अग्नि शमन प्रमाण—पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय दोनों का) स्थायी (प्रोविजनल/मैनुअल नहीं) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो (ऑनलाईन पद्धति)।
12. अस्पताल में वर्तमान कार्यरत कर्मचारी की सूची।
13. प्रास्पेक्ट्स में दिये शपथ—पत्र को रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

नोट: 1. चिकित्सालय पंजीयन प्रमाण—पत्र/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान अग्नि शमन प्रमाण—पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय दोनों का) स्थायी (प्रोविजनल/मैनुअल नहीं) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो (ऑनलाईन पद्धति) की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी दशा में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा।

2. यदि द्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के नाम 12.50 एकड़ से अधिक भूमि है, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 सपष्टित उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमति पत्र।

शपथ—पत्र का प्रारूप—1

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ—पत्र (आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

- मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम) प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पताके द्वारा(कोर्स का नाम)..... नर्सिंग/पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ0प्र0 सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा रहा है।
- मैं बचन देता हूँ/देती हूँ कि भविष्य में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग/पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
- यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही है। उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।
- यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/फौजदारी वाद विचाराधीन/लम्बित नहीं है और न ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
- मैं राज्य सरकार व उ0प्र0 मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों व निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा—निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है/आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।

दिनांक :—

सक्षम प्राधिकारी
संस्था का नाम / पता

शपथ पत्र का प्रारूप—2

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ—पत्र (आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

- मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम) (प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पूरा पता)के द्वारा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया गया है।
- संस्था के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के अन्तर्गत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमति प्रमाण—पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

दिनांक :—

सक्षम प्राधिकारी
संस्था का नाम / पता

सामान्य पुस्तके –

| | | |
|----|-------------|--|
| 1 | Ajmani | Embalming: Principles and Legal Aspects, 1/e |
| 2 | Gandotra | Gross Anatomy workbook, 1/e |
| 3 | Jain | General Anatomy for Students, 2/e |
| 4 | Kapur | Ess. Of Surface & Radiological anatomy, 2/e |
| 5 | Kant | Embryology for Medical Students |
| 6 | Singh | Essentila of Anatomy, (all in four colour) 1/e, 2002 |
| 7 | Singh | A TB of Human Osteology, 2/e, 2002 |
| 8 | Feneis | Pocket Atlas of Human Anatomy |
| 9 | Panda | Concise Pocket Medical Dictionary, 1/e |
| 10 | Panda | Jaypee's Dental Dictionary,1/e |
| 11 | Panda | Jaypee's Nurses' Dictionary, 1/e |
| 12 | Rikh | Pocket Medical English Hindi Dictionary, 14/e, 1/e Ind. |
| 13 | Dorland | Dorland dictionary, 29/e 2000 |
| 14 | Dorland | Dorland's Pocket Medical Dictionary, 26/e, 2001 |
| 15 | Bijlani | Understanding Medical Physiology, 3/e, 2002 |
| 16 | Ratan | Handbook of Human Physiology, 7/e |
| 17 | Despopoulos | Color Atlas of Physiology, (Sp. Price) |
| 18 | Mahajan | Methods in Biostatistics, 6/e |
| 19 | Prabhakaran | Biostatistics , 1/e,2002 |
| 20 | Rao | Biostatistics: The Manual of Statistical Methods for use in Health & Nutrition, 1/e |
| 21 | Singh | Elementary Statistics for Medical Workers, 1/e |
| 22 | Dave | Emergency Medical Services & Disaster Management,1/e,2001 |
| 23 | Dogra | aids to Clinical Medicine |
| 24 | Garg | Synopsis of AIDS,2/e |
| 25 | Gupta | Manual of Medical Emergencie,2/e |
| 26 | Krishna Das | TB of Medicine ,4/eVol.I,II,2002 |
| 27 | Mohapatra | Occupation, Health Hazards and Remedies |
| 28 | Mogli | Medical Records Organization and Management |
| 29 | Prasad | TB of Medicine (Hindi) |
| 30 | Suratt | Manual of Medical Procedures,1/e Ind. |
| 31 | Nambi | Psychiatry for Nurses ,1/e |
| 32 | Ray | Yogic Exercises :Physiologic and Psychic Processes 1/e |
| 33 | Bhatia | Rabies the Killer Disease,1/e |
| 34 | Chabe | Consumer Protection and The Medical Profession |
| 35 | Francis | Medical Ethics 1/e |
| 36 | Greenberg | The Birth of a Father 1/eInd. |
| 37 | Gupta | Addiction 1/e |
| 38 | Gupta | Manual of First Aid 2/e Hindi |
| 39 | Gupta | Manual of First Aid: Manag. of General Injuries, Sports Injuries & Common ailments 5/e |
| 40 | Gupta | Outline of Sports medicine 2/e |
| 41 | Jaiswal | Consumer Protection act and The Medical Practitioners 1/e |
| 42 | Meador | A Little Book of Doctors' Rules 1/e 1/e Ind |
| 43 | Mogli | Medical Records Organization and Mangement |
| 44 | Moss | Health Manual A Self Help Guide 1/e Ind |
| 45 | Nayyar | Tell Me About Me : The Living Machine-Basic human Anat. 1/e |
| 46 | Panda | Handbook for Medical Representatives 1/e |
| 47 | Prakash | Medical Adult |
| 48 | Singhals | Medical Ethics |
| 49 | Urs | Networking Organisation of Health Science Laboratories |
| 50 | Bijlani | Nutrition: A Practical Approach 1/e |
| 51 | Chandra | Poshan& Swastha,1/e (Hindi) |
| 52 | Ghosh | Nutrition and Child care: A Practical Guide 1/e (Hindi) |

| | | |
|----|----------|--|
| 53 | Gupta | Food & Nutrition: Facts and Figures 5/e |
| 54 | Indrani | Ess. of Nutrition and Therapeutic Diet (2 Vols) |
| 55 | Mazumdar | Essentials of Human Nutrition |
| 56 | Salins | Nutrition Guide 1/e |
| 57 | Virk | Lecture notes in Nutrition |
| 58 | Boyle | Personal Nutrition 4/e 2001 |
| 59 | Mahan | Krauses Food, Nutrition and Diet Therapy 10/e |
| 60 | Way | Nutrition Secrets 1/e 1/e Ind |
| 61 | WHO | Guidelines for training Community Health Workers in Nutri. |
| 62 | WHO | Nutrition Learning Packages 1/e Ind |
| 63 | Williams | Basic Nutrition and Diet Therapy11/e |

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री टेक्नीशियन प्रशिक्षण हेतु टेक्स्ट बुक्स व रिफरेन्स बुक्स : इस सूची में से महत्वपूर्ण पुस्तकों अवश्य उपलब्ध कराएं।

| | | |
|----|----------------|--|
| 1 | Agarwal | Phacoemulsification, Laser Cataract Surgery & Foldable IOLs,2/e |
| 2 | Agarwal | Short and Long Cases in Ophthalmology 1/e |
| 3 | Agarwal | TB of Ophthalmology (4 Vols),1/e2002 |
| 4 | Agarwal | Ophthalmology for Undergraduates Students 1/e |
| 5 | Ahuja | Eye Banking and Keratoplasty 1/e |
| 6 | Azad | A Practical Manual if Indirect Ophthalmology |
| 7 | Azad | Current Concepts in Ophthalmic Lasers |
| 8 | Dada | Contact Lenses 4/e |
| 9 | Dada | Fun with PHACO 1/e |
| 10 | Dada | Handbook of LASIK Surgery |
| 12 | Davies | Secrets of Phacoemulsification 2001 |
| 13 | Dutta | Clinical Methods in Ophthalmology 2/e 2000 |
| 14 | Dutta | Modern Ophthalmology (2 Vol)2/e |
| 15 | Garg | Current trends in Ophthalmology 1/e |
| 16 | Garg | Manual of Ocular Therapeutics 1/e |
| 17 | Pattnaik | Laser in Ophthalmology : Principles and Techniques 1/e |
| 18 | Singhal | Principles and Practice of Refraction Optics 1/e |
| 19 | Singh | Cataract and IOL (Text and Colour Atlas) |
| 20 | Srinivasan | Complications of IOL Implantation 1/e |
| 21 | Vajpayee | Corneal Transplantation |
| 22 | Abrams | Duke- Elder's: Practice of Refraction 10/e (Or Pr. £ 53) |
| 23 | Acad. of Ophth | Strabismus& Pediatric Ophthalmology |
| 24 | Alpar | Intraocular Lenses |
| 25 | Apple | Foldable Intraocular Lenses |
| 26 | Appleton | Clinical Optics |
| 27 | Bahadur | Manual of Cataract Surgery2/e 2000 |
| 28 | Chawla | Ophthalmology : A Symptom Based Approach 3/e |
| 29 | Chern | Ophthalmology Review Manual |
| 30 | Cinotti | Handbook of Ophthalmic Emergencies |
| 31 | Hunter | Last Minute Optics: A Concise Review of Optics, Refraction and Contact Lenses 1/e 1/e Ind. |
| 32 | North | Work and the Eye 2/e 2001 |
| 33 | Parson's | Diseases of the Eye (Or. Pr. £47.50 |
| 34 | Ragge | Immediate Eye care |
| 35 | Rakow | Contact Lenses |
| 36 | Rowe | Clinical Orthoptics |
| 37 | WHO | Management Of Cataract in Primary Health Care Services |
| 38 | Williams | Ophthalmic Surgical Assisting |

List of Equipment for Diploma in Optometry Technician

For Eye O.P.D.

| S.No | NAME OF EQUIPMENTS | QUANTITY |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1. | Snellen's chart (Drum) | 2 |
| 2. | Auto refracto meter | 1 |
| 3. | Kerato meter | 1 |
| 4. | Slit lamp | 1 |
| 5. | Trial box (with accessories)(Big) | 2 |
| 6. | Trial frame (small) | 3 |
| 7. | Near vision chart | 1 |
| 8. | Lenso meter | 1 |
| 9. | Maddox wing | 1 |
| 10. | Maddox rod | 1 |
| 11. | Prism bar Horizontal | 1 |
| 12. | Prism bar Vertical | 1 |
| 13. | Model of eye (for retinoscopy) | 1 |
| 14. | Streak retinoscope | 2 |
| 15. | Ishihara's chart | 1 |
| 18. | Torch | 2+1 |
| 19. | B.P Instrument (Vertical) | 1 |
| 20. | Trolley | 1 |
| 21. | Drum | 1 |
| 22. | Tray (Instruments) | 1 |
| 23. | Boiler | 1 |
| 24. | Jackson's cross cylinder | 1 |
| 25. | Schiotz's Tonometer | 1 |
| 26. | Hanging Snellen's chart | 3 |
| 27. | Indirect ophthal moscope | 1 |
| 28. | Goldmann 3 mirror gonioscope | 1 |
| 29. | Synaptophore | 1 |
| 30. | Fridge | 1 |
| 32. | Couch | 1 |
| 33. | B.P. Instrument Horizontal | 1 |

| | | |
|-----|----------------------|----------|
| 1. | Sph. surface | 2 |
| 2. | Cyl. surface | 2 |
| 3. | Cyl. surface | 2 |
| 4. | Cyl. tools | 16 pe. |
| 5. | Sph. tools | 18 pe. |
| 6. | Sph. cots. | ± 24 pe. |
| 7. | Cyl. cots. | ± 24 pe. |
| 8. | Gauze | 41 pe. |
| 9. | 1 Beg | 180 |
| 10. | 1 Beg | 120 |
| 11. | Seal wax | 2 Kg. |
| 12. | Moter ½ H.P. | 4 pe. |
| 13. | Bowl | 6 |
| 14. | Heater | 1 |
| 15. | Tong | 1 |
| 16. | Bucket | 2 |
| 17. | MO2 powder | 1 pkt. |
| 18. | MO3 powder | 1 pkt. |
| 19. | Edging Machine | 1 |
| 20. | Glass Marking Pencil | 1 |
| 21. | Marker | 2 |
| 22. | A × 15 Chart | 1 |
| 23. | Movioil | ½ lt. |
| 24. | Lakh | 500 gm. |
| 25. | Bulb | 2 |

- (ii) Major O.T.
- | | |
|-------------------------------|---|
| Operation microscope With T.V | 1 |
| Cryo unit | 1 |
| Cataract set | 5 |
| Glaucoma set | 2 |
| DCR set | 2 |
| Entropian set | 2 |
| Enucleation set | 2 |
| Evisceration set | 2 |
| Squint set | 2 |
- (iii) General Ophthalmic equipment
- | | |
|-------------------------|---|
| Operation theater Table | 1 |
| O.T.lights | 1 |
- (iv) Minor O.T
- Should have the equipment for removal of foreign body, sutures & chalzion or stye.

| | | |
|-----|--|---|
| (v) | Ward | |
| | Slit lamp | 1 |
| | Snellen chart/drum with/without remote | 1 |
| | Trial set with trial frames | 1 |
| | Bjerrum Screen | 1 |
| | Perimeter | 1 |
| | Colour vision chart | 1 |
| | Near vision chart with different languages | 1 |
| | 3 cell torch | 2 |
| | Ophthalmoscope & retinoscope | 1 |

Mechanical Optics Work Shop

| | | |
|-----|----------------------|----------|
| 1. | Sph. Glass blanks | 50 |
| 2. | Cyl. Glass blanks | 50 |
| 3. | Cyl. Tools | 16 pe. |
| 4. | Sph. Tools | 18pe. |
| 5. | Sph. Cots. | ± 24 pe. |
| 6. | Cyl. Cots. | ± 24 pe. |
| 7. | Gauge | 41 pe. |
| 8. | 1 Beg | 180 |
| 9 | 1 Beg | 120 |
| 10. | Seal wax | 2 Kg. |
| 11. | Moter ½ H.P. | 4 pe. |
| 12. | Bowl | 6 |
| 13. | Heater | 1 |
| 14. | Tong | 1 |
| 15. | Bucket | 2 |
| 16. | MO2 Powder | 1 pkt. |
| 17. | MO3 Powder | 1 pkt. |
| 18. | Edging Machine | 1 |
| 19. | Glass Marking Pencil | 1 |
| 20. | Marker | 2 |
| 21. | A X 15 Chart | 1 |
| 22. | Mobil - Oil | ½ Lt. |
| 23. | Lac | 500 gm. |
| 24. | Bulb | 2 |
| 25. | Opticians ruler | 1 |

INSTRUMENTS FOR ORTHOPTICS CLINIC

1. Synaptophore
2. Prism bar
3. Maddox wing
4. Maddox rod
5. Diplopia goggles
6. RAF rule
7. RAF near point rule
8. Hess or Lees's screen
9. Ramy's separator & bar reader
10. IPD ruler
11. Cheiroscope
12. Stereoscope
13. Diploscope
14. Stereograms
15. Visual acuity testing charts for children :-

1. Picture chart
2. Illiterate E – charts (separated)
3. Matching alphabet chart
16. Visuoscope
17. Maddox tangent scale

INSTRUMENTS FOR ORTHOPTICS CLINIC

18. Synaptophore
19. Prism bar
20. Maddox wing
21. Maddox rod
22. Diplopia goggles
23. RAF rule
24. RAF near point rule
25. Hess or Lees's screen
26. Ramy's separator & bar reader
27. IPD ruler
28. Cheiroscope
29. Stereoscope
30. Diploscope
31. Stereograms
32. Visual acuity testing charts for children :-
 1. Picture chart
 2. Illiterate E – charts (separated)
 3. Matching alphabet chart
33. Visuoscope
34. Maddox tangent scale

प्रशासनिक विभाग के लिये उपस्कर –

| S.No. | Name of the Equipment |
|--------------|---|
| 1 | Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection |
| 2 | Xerox Machine |
| 3 | Typewriter |
| 4 | Intercom |
| 5 | Fax Machine |
| 6 | Telephone |
| 7 | Public Address System |

शिक्षण हेतु उपस्कर—

| S.No. | Name of the Equipment |
|--------------|--|
| 1 | Furniture for class room, committee/meeting room |
| 2 | O.H.P. |
| 3 | Screen |
| 4 | White/Colour boards |
| 5 | Television colour |

| | |
|----|----------------|
| 6 | VCD Player |
| 7 | Radio |
| 8 | LCD Projectors |
| 10 | Computer |

सामान्य फर्नीचर –

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|--|
| 1 | Doctor's chair for OP Ward, Blood Bank, Lab etc. |
| 2 | Doctor's Table |
| 3 | Duty Table for Nurses |
| 4 | Table for Sterilisation use (medium) |
| 5 | Long Benches(6 1/2' x 1 1/2') |
| 6 | Stool Wooden |
| 7 | Stools Revolving |
| 8 | Steel Cup-board |
| 9 | Wooden Cup Board |
| 10 | Racks -Steel - Wooden |
| 11 | Patients Waiting Chairs {Moulded) |
| 12 | Attendants Cots |
| 13 | Office Chairs |
| 14 | Office Table |
| 15 | Footstools |
| 16 | Filing Cabinets (for records) |
| 17 | M.R.D.Requirements (record room use) |
| 18 | Paediatric cots with railings |
| 19 | Cradle |
| 20 | Fowler's cot |
| 21 | Ortho Facture Table |
| 22 | Hospital Cots (ISI Model) |
| 23 | Back rest |
| 24 | Dressing Trolley (SS) |
| 25 | Medicine Almairah |
| 26 | Bin racks (wooden or steel) |
| 27 | ICCU Cots |
| 28 | Bed Side Screen (SS-Godrej Model) |
| 29 | Medicine Trolley(SS) |
| 30 | Case Sheet Holders with clip(S.S.) |
| 31 | Bed Side Lockers (SS) |
| 32 | Examination Couch (SS) |
| 33 | Instrument Trolley (SS) |
| 34 | Instrument Trolley Mayos (SS) |
| 35 | Surgical Bin Assorted |
| 36 | Wheel Chair (SS) |
| 37 | Stretcher / Patience Trolley (SS) |
| 38 | Instrument Tray (SS) Assorted |
| 39 | Kidney Tray (SS) - Assorted |
| 40 | Basin Assorted (SS) |

| | |
|----|---|
| 41 | Basin Stand Assorted (SS) (2 basin type) (1 basin type) |
| 42 | Delivery Table (SS Full) |
| 43 | Blood Donar Table |
| 44 | 02 Cylinder Trolley(SS) |
| 45 | Saline Stand (SS) |
| 46 | Waste Bucket (SS) |
| 47 | Dispensing Table Wooden |
| 48 | Bed Pan (SS) |
| 49 | Urinal Male and Female |
| 50 | Name Board for cubicals |
| 51 | Kitchen Utensils |
| 52 | Containers for kitchen |
| 53 | Plate, Tumblers |
| 54 | Waste Disposal - Bin / drums |
| 55 | Waste Disposal - Trolley (SS) |
| 56 | Linen Almirah |
| 57 | Stores Almirah |
| 58 | Arm Board Adult |
| 59 | Arm Board Child |
| 60 | SS Bucket with Lid |
| 61 | Bucket Plastic |
| 62 | Ambu bags |
| 63 | O ₂ Cylinder with spanner ward type |
| 64 | Diet trolley - stainless steel |
| 65 | Needle cutter and melter |
| 66 | Thermometer clinical |
| | Thermometer Rectal |
| 67 | Torch light |
| 68 | Cheatles forceps assortted |
| 69 | Stomach wash equipment |
| 70 | Infra Red lamp |
| 71 | Wax bath |
| 72 | Emergency Resuscitation Kit-Adult |
| 73 | Enema Set |